भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 402*

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान योजना के अंतर्गत आयुर्वेद संस्थान

*402. श्री मुकेश राजपूत:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुर्वेद संस्थानों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयुष्मान योजना का लाभार्थी देश के किसी भी आयुर्वेद संस्थान में उपचार करा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 28 मार्च, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 402* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का उद्देश्य भारत की आबादी के 40% हिस्से के निम्न वर्ग वाले 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5.00 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेजों में नए पैकेजों को जोड़ने का काम विभिन्न विशेषताओं के लिए गठित चिकित्सा विशेषज्ञ समितियों द्वारा किया जाता है, जिसमें अग्रणी संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

समिति प्रस्तावित पैकेजों की नैदानिक प्रासंगिकता, लागत-प्रभावशीलता और रोगी देखभाल तथा स्वास्थ्य परिणामों पर समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए नए पैकेज को शामिल करने की आवश्यकता का आकलन करती है। समिति स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का मार्गदर्शन करने और दावा प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए मानक उपचार दिशा-निर्देशों और आवश्यक दस्तावेज़ों को भी अंतिम रूप देती है। समिति की सिफारिशों की समीक्षा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के स्वास्थ्य नीति और गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग द्वारा की जाती है और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों के साथ परामर्श के बाद सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेज में शामिल करने के लिए पैकेजों को अंतिम रूप दिया जाता है। नए पैकज को सम्मिलित करना एक सतत प्रक्रिया है। आयुष पैकेज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम जेएवाई) में शामिल नहीं हैं।

*****